

#1297

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगढ (राज.)

ग्रामीण सेवा शिफ्ट-2025

पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिफ्ट 2025 कैम्प स्थल - रुणाखुडी

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 1017 दापर दिनांक 09/10/25

निर्णय दिनांक 09/10/25



रिपोर्ट

क्र.म..	नाम- ग्राम	खान	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान. उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	रुणाखुडी	94	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	तहसिलीदार कपासन की अनुशंशा स्वीकार की जाकर राज.भू.श.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>रुणाखुडी</u> प.ह. <u>रुणाखुडी</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नमन परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरासद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
प्रतिलिपि पालनार्थ:-			हस्ताक्षर पत्रावली रुणाखुडी	हस्ताक्षर गिरदावर	पदेन सहायक कलक्टर कपासन

1. पटवाशी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरासद करें।

तहसिलीदार-कपासन

तहसिलीदार (पू.अ.)

तहसील कपासन जिला-चितौडगढ़

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चितौडगढ़